IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(पेंशन सेल)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

www.upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्र सं0– / / दिनांक– / /2017

कार्यालय आदेश

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार के कार्मिको को अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की भाँति उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों के लिये भी पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी की व्यवस्था दिनांक 01.01.1996 से, परिषद मुख्यालय की अधिसूचना संख्या–889/पेंशन, दिनांक 19.05.2009 द्वारा प्रख्यापित "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों हेतु पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी विनियमावली" सपठित शासनादेश संख्या–1111/आठ–2–15–01एस0एल0पी0/09, दिनांक 05.05.2015 एवं उसके क्रम में परिषद–मुख्यालय के कार्यालय–आदेश संख्या–169/पेंशन, दिनांक 13.05.2015 द्वारा यथावत् लागू की गयी है।

ऐसे कार्मिक जिनके पेंशन प्रकरण में आपत्तियों (कमियों/त्रुटियों) का सम्यक निराकरण नहीं हो सका है, के सम्बन्ध में आवास आयुक्त (म0) के कार्यालय आदेश संख्या–205/पेंशन/दिनांक 06.06.2017 द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर अनन्तिम पेंशन स्वीकृत किए जाने की आवश्यक कार्यवाही सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के क्रम में किसी कार्मिक की अनन्तिम पेंशन स्वीकृत होने तथा कालान्तर में उसे अन्तिम पेंशन स्वीकृत किये जाने की स्थिति में पेंशन अग्रसारण पत्र के क्रमांक–3 के अनुसार **"यदि उक्त अधिकारी/कर्मचारी की अनन्तिम (प्रोविजनल) पेंशन/उपादान का भुगतान किया गया है, तो उपर्युक्त भुगतान किये जाने के पूर्व अनन्तिम (प्रोविजनल) पेंशन/उपादान का समायोजन कर लिया जाये।"**, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को संलग्न प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा।

उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अन्तिम पेंशन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक–प्रमाण पत्र का प्रारूप।

(एस0के0 शुक्ल)
आहरण वितरण अधिकारी

पृष्ठ – 323 / उक्त / तद्दिनांक– 05.07.17

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
4. संयुक्त आवास आयुक्त (प्रशा0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6. लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

5/7/17

आहरण वितरण अधिकारी

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(कार्यालय का नाम)
कार्यालय का पता
www.upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

पत्र सं0– / / दिनांक– / /

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन अनुभाग के पत्रांक–.............. /दिनांक .... द्वारा श्री .... पदनाम .... की अन्तिम पेंशन स्वीकृत करते हुए पी0पी0ओ0 संख्या– .... निर्गत किया जा चुका है।

1. श्री .... पदनाम .... को इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की अनन्तिम पेंशन (प्रोविजनल)/उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान नहीं किया गया है और न ही किया जायेगा।

2. श्री .... पदनाम .... को इस कार्यालय द्वारा अनन्तिम पेंशन (प्रोविजनल)/उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान किया गया है (विवरण संलग्न है)।

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)
नाम, पदनाम एवं मोहर

आहरण वितरण अधिकारी,
(पेंशन अनुभाग)
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

(नोट:–1 व 2 में से जो लागू न हो उसे काट दें।)